बिहार सरकार

गृह विभाग (विशेष शाखा)

अधिसूचना

पटना, दिनांक ....

एस0ओ0–..................................../ बिहार राज्य के अन्तर्गत निजी सुरक्षा अभिकरणों के विनियमन हेतु निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (केन्द्रीय अधिनियम 29, 2005) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बिहार निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2011 (वर्ष 2017 में यथासंशोधित) को अधिक्रांत करते हुए, बिहार सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :–
   1. यह नियमावली बिहार निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2025 कहलाएगी।
   2. यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ**– इन नियमों में, संदर्भ से जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो,–

   (क) अधिनियम से अभिप्रेत है निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005;
   (ख) ''अभिकरण'' से अभिप्रेत है निजी सुरक्षा अभिकरण;
   (ग) ''नियंत्री प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है अधिनियम के अधीन घोषित नियंत्री प्राधिकारी;
   (घ) ''प्रपत्र'' से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र;
   (ङ) ''अनुज्ञप्ति'' (लाइसेंस) से अभिप्रेत है निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 के अधीन प्रदत्त अनुज्ञप्ति;
   (च) इस नियमावली में अपरिभाषित लेकिन अधिनियम में परिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के वहीं अर्थ होंगे जो निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 में उनके लिए क्रमशः नियत हैं।

3. **नियंत्री प्राधिकारी** :– निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा–3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के उपयोग के निमित्त राज्य सरकार द्वारा गृह विभाग के विशेष सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी को इस नियमावली के तहत् नियंत्री प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया जा सकेगा।

4. **अपीलीय प्राधिकार** :–निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा–14 के आलोक में नियंत्री प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना के समक्ष की जा सकेगी। अपील करने की समयावधि अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधानों के अनुसार होगी।

5. **अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए आवेदन**–

   (1) **राज्य में निजी सुरक्षा का कारोबार करने को इच्छुक प्रत्येक अभिकरण ऑनलाइन माध्यम से प्रपत्र 1 में आवेदन करेगा।**

   (2) प्रत्येक अभिकरण जब अनुज्ञप्ति को अनुदत्त करने के लिए ऑनलाइन माध्यम से प्रपत्र 1 में आवेदन कर रहा है, तब अपने पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए प्रपत्र 2 को भी संलग्न करेगा।

   (3) यदि आवेदक कोई कंपनी, कोई फर्म या कई व्यक्तियों का संगम है तो आवेदन, कंपनी के प्रत्येक स्वत्वधारी या बहुसंख्यक शेयरधारक, भागीदार या निदेशक, जैसे

113

कि वे भी आवेदक हों, के लिए पूर्ववृत्त सत्यापन से सम्बन्धित प्रपत्र 2 के साथ होगा। इसके अतिरिक्त, कंपनी का प्रत्येक स्वत्वधारी या बहुसंख्यक शेयरधारक, भागीदार या निदेशक, अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) में अंतर्वलित उपबंधों के संबंध में ब्यौरों को सम्मिलित करते हुए प्रपत्र 3 में एक शपथ पत्र भी संलग्न करेगा।

(4) नियंत्री प्राधिकारी ऑनलाइन माध्यम से प्रपत्र 1, प्रपत्र 2, प्रपत्र 3 की प्राप्ति पर आवेदन की अन्तर्वस्तु और आवेदक की विशिष्टियों का सत्यापन करने के लिए ऐसी जाँच, जो वह आवश्यक समझे, कर सकेगा।

(5) **आवेदक कंपनी/अभिकरण के प्रत्येक स्वत्वधारी, बहुसंख्यक शेयरधारक, भागीदार या निदेशक के संदर्भ में अपराध और आपराधिक के इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस जैसे अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और तंत्र (सीसीटीएनएस), अंतर–संचालन आपराधिक न्याय तंत्र (आईसीजेएस) अथवा राज्य सरकार के चरित्र सत्यापन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त अधिकतम 1 (एक) माह पूर्व का पूर्ववृत्त/चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करेगा। अन्य राज्यों में निवास करने वाले आवेदक सम्बन्धित पुलिस प्राधिकार द्वारा निर्गत अधिकतम 1 (एक) माह पूर्व का पूर्ववृत्त/चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र संलग्न कर सकेंगे।**

(6) जब कभी किसी आवेदक का पूर्ववृत्त पहले ही किसी अन्य राज्य में सत्यापित कर लिया गया हो और अनुज्ञप्ति प्रदत्त कर दी गई हो, तब नियंत्री प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह नए सिरे से पूर्ववृत्त का सत्यापन करे, परंतु अनुज्ञप्ति जिसके लिए पूर्ववृत्त सत्यापित किया गया है, वैधता की अवधि के भीतर होनी चाहिए।

(7) आवेदक **इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रदत्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन यथाविहित अनुज्ञप्ति शुल्क के संदाय से सम्बन्धित साक्ष्य को आवेदन के साथ संलग्न करेगा।**

(8) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन की प्राप्ति पर नियंत्री प्राधिकारी आवेदन को उसके द्वारा प्राप्त किए जाने की तारीख उस पर लिखने के पश्चात् आवेदक को इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिस्वीकृति अनुदत्त करेगा।

(9) नियंत्री प्राधिकारी या तो स्वयं या अपने अधिकारी के माध्यम से या किसी अन्य साधन द्वारा अभिकरण द्वारा दिए गए पते पर प्रस्तावित निजी सुरक्षा अभिकरण के कार्यालय परिसर को सत्यापित करेगा।

(10) नियंत्री प्राधिकारी, ऑनलाइन माध्यम से प्रपत्र 1 में आवेदन प्राप्त करने के पश्चात, ऐसी जाँच करने के पश्चात, जैसा वह आवश्यक समझे और अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन के पश्चात् प्रपत्र 4 में निजी सुरक्षा अभिकरण को अनुज्ञप्ति अनुदत्त करेगा।

(11) **अनुज्ञप्त अभिकरण ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त अनुज्ञप्ति के आधार पर व्यवसाय आरंभ कर सकेगा। प्राप्त अनुज्ञप्ति को निजी सुरक्षा अभिकरण अपने कार्यालय में प्रदर्शित करने के लिए बाध्य होगा।**

(12) अनुज्ञप्ति को अनुदत्त करने के आवेदन को अस्वीकृत किए जाने की दशा में नामंजूरी का कोई आदेश नहीं किया जाएगा, जब तक;–

(क) आवेदक को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो;
(ख) आधार जिन पर अनुज्ञप्ति को नामंजूर किया गया है, आदेश में उल्लिखित न कर दी गयी हो।

(13) नियंत्री प्राधिकारी सभी परिप्रेक्ष्यों से पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर अनुज्ञप्ति के आवेदन पर आदेश पारित करेगा।

(14) उपर्युक्त सभी प्रक्रियायें ऑन–लाइन माध्यम से निष्पादित की जायेगी।

6. **अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने की शर्तें**–(1) अनुज्ञप्तिधारी, नियंत्री प्राधिकारी द्वारा, यथाविहित, निजी सुरक्षा के संबंध में प्रशिक्षण उसके द्वारा नियत किए गए समय के भीतर सफलतापूर्वक प्राप्त करेगा।

परंतु यदि उस निजी सुरक्षा अभिकरण ने, जिसके लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त की गयी हो, पहले ही किसी अन्य राज्य के नियंत्री प्राधिकारी से अनुज्ञप्ति प्राप्त कर ली है, तब अनुज्ञप्तिधारी को प्रशिक्षण की अपेक्षा आवश्यक नहीं होगी।

(2) नियंत्री प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारी के प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण पाठ्य विवरण के ब्यौरे विरचित करेगा।

(3) प्रशिक्षण कम से कम छह कार्य दिवस का होगा। प्रशिक्षण में मोटे तौर पर निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे, अर्थात् :–

(i) वर्तमान सुरक्षा रूपरेखा
(क) वीआईपी सुरक्षा
(ख) आंतरिक सुरक्षा
(ग) संस्थागत सुरक्षा

(ii) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणों की भूमिका और कृत्य
(क) अग्नि शमन
(ख) आपदा/आपातकालीन प्रबंधन प्रोटोकॉल
(ग) सुरक्षा कर्तव्य
(घ) विभिन्न दस्तावेजों की जांच
(ङ) सूचना सुरक्षा
(च) अभिगम नियंत्रण
(छ) विस्फोटक आईईडीएस
(ज) एंटी सबोटेज चेक (एएससी)
(झ) सुरक्षा संबंधी उपस्कर
(ञ) संसूचना उपस्कर
(ट) पेट्रोलिंग
(ठ) चौकी ड्यूटी

(iii) विधिक उपबंध
(क) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 29) और बिहार निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2025
(ख) सुसंगत श्रमिक विधियां

(iv) सुरक्षा अभिकरणों का प्रबंधन
(क) वर्दी

(111)

(ख) निजी सुरक्षा अभिकरणों के कार्मिकों का प्रशिक्षण

(ग) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दस्तावेजों और रिकॉर्डों का रखरखाव

(घ) डाटा शेयरिंग प्रोटोकॉल

(v) जनसाधारण, पुलिस और अन्य विभागों के साथ सम्पर्क

(क) जनसाधारण के साथ इंटरफेस

(ख) पुलिस और अन्य संबंधित सरकारी विभागों के साथ संपर्क

(vi) निजी सुरक्षा कार्मिक–आचरण सम्बन्धी नियम

(vii) इसके अतिरिक्त गृह विभाग, बिहार, पटना द्वारा विनिर्दिष्ट विषय

(4) अनुज्ञप्तिधारी, नियंत्री प्राधिकारी को अनुज्ञप्ति की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर अभिकरण बनाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम, माता–पिता का नाम, जन्म तारीख, स्थायी पता, पत्र व्यवहार के लिए पता और प्रधान वृत्ति को सूचित करेगा।

(5) अनुज्ञप्तिधारी, अभिकरण के प्रत्येक स्वत्वधारी या बहुसंख्यक शेयरधारक, भागीदार या निदेशक के पते या अभिकरण के कार्यालय के पते में परिवर्तन या प्रबंधन में परिवर्तन के संबंध में, ऐसे परिवर्तन के तीस दिनों के भीतर नियंत्री प्राधिकारी को सूचना देगा।

(6) अनुज्ञप्तिधारी, नियंत्री प्राधिकारी को निजी सुरक्षा अभिकरण के रूप में कर्तव्यों के निर्वहन में, अभिकरण बनाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध या अभिकरण द्वारा नियुक्त या नियोजित निजी सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक के विरुद्ध विरचित किए गए किसी आपराधिक आरोप के बारे में तत्काल सूचना देगा और ऐसी संसूचना की एक प्रति उस थाने के भारसाधक अधिकारी को भेजेगा, जहाँ व्यक्ति, जिसके विरुद्ध आरोप लगाया गया है, निवास करता है।

(7) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी निजी सुरक्षा गार्डों के लिए शारीरिक मानकों और इन नियमों में यथास्थिति, उनकी प्रशिक्षण शर्ते जिन पर अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है, अपेक्षाओं का पालन करेगा।

(8) इन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए संदत्त फीस अप्रतिदेय होगी।

(9) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति प्राप्ति के छह माह के भीतर अपने क्रिया कलाप प्रारंभ करेगा।

(10) क्रिया कलापों के आरंभ किए जाने में, अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन यथा उपबंधित और नियम 13 के अनुसरण में कार्यालय परिसर का स्थापन और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति सम्मिलित होगी।

(11) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी सशस्त्र निजी सुरक्षा गार्डों के नियोजन के पूर्व उनके द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञप्ति की वैधता का सत्यापन जारीकर्त्ता प्राधिकार से कराना सुनिश्चित करेगा।

7. **अनुज्ञप्ति का नवीकरण**–(1) प्रत्येक अभिकरण, नियंत्री प्राधिकारी को प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 के साथ प्रपत्र 1 में, अनुज्ञप्ति की वैधता की अवधि के अवसान होने की तारीख से कम से कम पैंतालीस दिन पूर्व और अधिनियम की धारा 8 की अन्य शर्तों का पालन करने के पश्चात् नवीकरण के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करेगा।

(2) **यदि आवेदक कोई कम्पनी, कोई फर्म या कोई व्यक्तियों का संगम है तो आवेदन के साथ, कम्पनी के प्रत्येक स्वत्वधारी या बहुसंख्यक शेयरधारक, भागीदार या निदेशक के संदर्भ में, वैसे ही जैसे कि वे भी आवेदक हों, पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए प्रपत्र 2 तथा**

अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) में अंतर्वलित उपबंधों के संबंध में ब्यौरों को सम्मिलित करते हुए प्रपत्र 3 में एक शपथ पत्र को भी संलग्न करेगा।

(3) नियंत्री प्राधिकारी, आवेदक के पूर्ववृत्त का उसी रीति से, जैसे कि नियम 5 के उपनियम (4) में उल्लिखित है, सत्यापन करेगा।

(4) नियंत्री प्राधिकारी आवेदन की प्राप्ति के पश्चात् ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा वह आवश्यक समझे और अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन के पश्चात् प्रपत्र 4 में अनुज्ञप्ति के नवीकरण को अनुदत्त करेगा।

(5) उपनियम (1) में उल्लिखित अवधि के भीतर अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन के प्राप्त न होने की दशा में, अनुज्ञप्ति के अवसान के पश्चात, गैर अनुज्ञप्ति प्राप्त अभिकरण माना जाएगा।

(6) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन करने की अवधि के अवसान के पश्चात् अभिकरण अधिनियम की धारा 7 के अनुसार नई अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन कर सकेगा।

(7) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए प्रभार्य फीस वैसी ही होगी, जैसी अनुज्ञप्ति को अनुदत्त करने के लिए नियम 5 के उपनियम (7) में यथा उल्लिखित हो।

(8) उपनियम (1) में उपदर्शित अवधि के पश्चात् और अनुज्ञप्ति के अवसान होने से पूर्व प्राप्त किए गए आवेदन पर अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए कार्य नहीं होगा।

(9) नियंत्री प्राधिकारी, सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन के प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन पर आदेश पारित करेगा।

(10) अनुज्ञप्ति नवीकरण की वैधता पहली अनुज्ञप्ति के अवसान होने की तारीख से समझी जाएगी और उसके नवीकरण के तारीख को विचार में लाए बिना पांच वर्ष तक की होगी। विद्यमान अनुज्ञप्ति के अवसान के पश्चात् नियंत्री प्राधिकारी द्वारा आवेदन का विनिश्चय किए जाने की दशा में मध्यवर्ती अवधि वैध अनुज्ञप्ति के अधीन समझी जाएगी।

(11) नियंत्री प्राधिकारी और निजी सुरक्षा अभिकरण, मानव नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण, जिसमें सिविल या सैनिक अधिकारी के कृत्य, राष्ट्रीय आपात, बलवा, दैवीकृत्य तक सीमित नहीं हैं, शामिल हैं, हुई देरी के लिए दायी नहीं होंगे।

(12) उपर्युक्त उल्लिखित सभी प्रक्रियायें ऑन–लाइन माध्यम से निष्पादित की जायेगी।

8. **अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए शर्तें**.– अनुज्ञप्ति का नवीकरण निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन अनुदत्त किया जाएगा, अर्थात्:

(i) आवेदक, नियंत्री प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में अपने कारोबार के प्रधान स्थान को बनाए रखेगा।

(ii) आवेदक अपने निजी सुरक्षा गार्डों और पर्यवेक्षकों के लिए इस नियमावली के नियम 11 के उपनियम (2) के अधीन अपेक्षित प्रशिक्षण की उपलब्धता सुनिश्चित करना जारी रखेगा।

(iii) आवेदक, अनुज्ञप्ति की शर्तों का पालन करना जारी रखेगा।

(iv) आवेदक का आपराधिक पूर्ववृत्त न हो, जिसके सत्यापन हेतु **आवेदक आवेदन के साथ कंपनी/अभिकरण के प्रत्येक स्वत्वधारी या बहुसंख्यक शेयरधारक, भागीदार या निदेशक के संदर्भ में अपराध और आपराधिक के इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस जैसे अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और तंत्र (सीसीटीएनएस), अंतर–संचालन आपराधिक न्याय तंत्र (आईसीजेएस) अथवा राज्य सरकार के चरित्र सत्यापन पोर्टल**

109

के माध्यम से प्राप्त अधिकतम 1 (एक) माह पूर्व का पूर्ववृत्त/चरित्र सत्यापन प्रमाणपत्र संलग्न करेगा। अन्य राज्यों में निवास करने वाले आवेदक सम्बन्धित पुलिस प्राधिकार द्वारा निर्गत अधिकतम 1 (एक) माह पूर्व का पूर्ववृत्त/चरित्र सत्यापन प्रमाणपत्र संलग्न कर सकेंगे।

9. नियंत्री प्राधिकारी एक वेब पोर्टल बनाने के लिए जिम्मेवार होगा, जिसके माध्यम से अनुज्ञप्त अभिकरण निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम एवं इन नियमों के अधीन विहित सूचना एवं अन्य अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। यह एक एकल खिड़की प्रणाली होगी।

10. **निजी सुरक्षा गार्ड और पर्यवेक्षक के चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन.–** (1) अभिकरण, किसी व्यक्ति को सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक के रूप में नियोजित या नियुक्त करने से पहले स्वयं को निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक तरीके से ऐसे व्यक्ति के चरित्र और पूर्ववृत्तियों के बारे में संतुष्ट करेगा :–

(क) व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन प्रमाण पत्र पर निर्भर होकर परंतु चरित्र और पूर्ववृत्त प्रमाण पत्र वैध हो और अभिकरण के पास किसी अन्य स्रोत से व्यक्ति के चरित्र और पूर्ववृत्त के संबंध में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट न हो।

(ख) **अपराध और आपराधिक के इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस जैसे अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और तंत्र (सीसीटीएनएस), अंतर–संचालन आपराधिक न्याय तंत्र (आईसीजेएस) अथवा राज्य सरकार के चरित्र सत्यापन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन प्रमाण पत्र।**

(2) जो व्यक्ति सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक के रूप में नियोजित या नियुक्त होने की वांछा रखता है, अभिकरण को प्रपत्र 5 में आवेदन करेगा। इसके अतिरिक्त, वह अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों से संबंधित ब्यौरों को सम्मिलित करते हुए प्रपत्र 6 में एक शपथपत्र दाखिल करेगा।

(3) अभिकरण, चरित्र और पूर्ववृत सत्यापन के आधार पर प्रपत्र 7 में एक चरित्र और पूर्ववृत प्रमाणपत्र जारी करेगा।

11. **सुरक्षा प्रशिक्षण–**

(1) नियंत्री प्राधिकारी, राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (National Skill Quality Framework) के अनुरूप, सुरक्षा गार्डों के प्रशिक्षण के लिए विस्तृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करेगा । प्रारंभिक स्तर के लिए यह प्रशिक्षण न्यूनतम 20 दिनों की अवधि में दिया जाने वाला होगा, जिसमें न्यूनतम 100 घंटे की कक्षा में शिक्षण तथा 60 घंटे का फील्ड प्रशिक्षण होगा। भूतपूर्व सैनिकों और पूर्व पुलिस को केवल संघनित पाठ्यक्रम, न्यूनतम 40 घंटे कक्षा में शिक्षण और 16 घंटे फील्ड प्रशिक्षण होगा जो 7 कार्य दिवसों में सम्पन्न होगा।

(2) प्रशिक्षण में निम्न विषय होंगे :–

(क) जनता में आचरण और वर्दी को सही ढंग से धारण करना;

(ख) शारीरिक सक्षमता प्रशिक्षण;

(ग) शारीरिक सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा, भवन/अपार्टमेंट की सुरक्षा, कार्मिक सुरक्षा, घरेलू सुरक्षा;

(घ) अग्नि शमन;

(ङ) भीड़ नियंत्रण;

(च) पहचान पत्र, पासपोर्ट तथा स्मार्ट कार्ड सहित पहचान कागजातों की जाँच;

(छ) उम्मीदवार को अंग्रेजी अक्षरों तथा अरबी अंकों को पढ़ने और उन्हें समझने योग्य होना चाहिए चाहिए, जैसा कि सामान्यतः पहचान दस्तावेजों, शस्त्र अनुज्ञप्ति, यात्रा दस्तावेजों और सुरक्षा निरीक्षण शीट में आते हैं;

(ज) छुपी हुई विस्फोटक वस्तुओं की पहचान;

(झ) प्राथमिक चिकित्सा;

(ञ) संकट से निपटना और आपदा प्रबंधन;

(ट) रक्षात्मक ड्राइविंग (सशस्त्र गाड़ियों के ड्राइवर के लिए अनिवार्य तथा दूसरों के लिए वैकल्पिक);

(ठ) अवर्जित आयुधों तथा अग्नेयास्त्र का उठाना–रखना और संचालन (वैकल्पिक)

(ड) भारतीय दंड संहिता का प्रारंभिक ज्ञान, निजी प्रतिरक्षा का अधिकार, पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया, आयुध अधिनियम (केवल प्रभावी धाराएँ), विस्फोटक अधिनियम (केवल प्रभावी धाराएँ)

(ढ) पुलिस तथा सैन्य बलों के रैंक के बैज;

(ण) जनता और पुलिस द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न शस्त्रों की पहचान;

(त) सुरक्षा उपकरण और युक्तियों का उपयोग (उदाहरण के लिए सुरक्षा अलार्म और स्क्रीनिंग उपकरण) और

(थ) नेतृत्व और प्रबंधन (केवल सुपरवाइजरों के लिए)।

(द) गृह विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य विषय।

(3) (i) सभी निजी सुरक्षा अभिकरण अनुज्ञप्तिधारकों के लिए उपर्युक्त नियम–6(2) एवं अपने निजी सुरक्षा गार्डों/पर्यवेक्षकों के लिए उपर्युक्त नियम–11(2) में वर्णित विषयों का प्रशिक्षण दिलाने हेतु सक्षम प्रशिक्षण संस्थान का चयन स्वयं करेंगे तथा उसके नाम एवं पते का उल्लेख प्रपत्र–1 की कंडिका–7 में करेंगे।

(ii) **बिहार राज्य में अवस्थित प्रशिक्षण संस्थान या अन्य राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से गार्ड/पर्यवेक्षकों को जारी किया गया निर्गत प्रमाण पत्र स्वीकार्य होगा।**

(iii) बिहार राज्य में अवस्थित सभी अनुज्ञप्त प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक–7080, दिनांक–08.06.2023 में निहित मानकों एवं इस संबंध में समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।

(4) सुरक्षा गार्ड को नियंत्री प्राधिकारी द्वारा विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा।

(5) प्रशिक्षण के पूर्ण होने पर प्रत्येक सफल प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रपत्र 8 में एक प्रमाणपत्र प्रदान करेगा।

(6) अन्य राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से गार्ड/पर्यवेक्षक को जारी किया गया प्रशिक्षण प्रमाणपत्र स्वीकार्य होगा, यदि वह प्रमाणपत्र गार्ड/पर्यवेक्षक द्वारा वर्तमान अभिकरण में योगदान के पूर्व जारी किया गया हो।

(107)

(7) नियंत्री प्राधिकारी समय–समय पर स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध संसाधनों तथा प्रशिक्षण देने की उनकी सक्षमता का निरीक्षण करेगा। ऐसा निरीक्षण प्रति वर्ष कम से कम दो बार किया जाएगा।

(8) सभी प्रशिक्षण अभिकरण नियंत्री प्राधिकारी को उसके द्वारा विहित की गई रीति में सफल प्रशिक्षणार्थियों की एक सूची प्रस्तुत करेंगे।

(9) प्रशिक्षण पूर्ण होने और रोजगार की अपेक्षा के आधार पर निजी सुरक्षा अभिकरण स्वयं अपने को पदाभिहित कर सकेगें, परन्तु कोई अभिकरण सशस्त्र सेना, अर्ध सैनिक बल या राज्य पुलिस बल के किसी रैंक को अंगीकृत नहीं करेगा।

(10) नियंत्री प्राधिकारी या तो स्वयं या अपने अधिकारियों के माध्यम से किसी निजी प्रशिक्षण अभिकरण के निजी सुरक्षा गार्डों और पर्यवेक्षकों को दिए गए प्रशिक्षण और कौशल को सत्यापित करेगा।

(11) नियंत्री प्राधिकारी ऐसे सुरक्षा अभिकरणों की अनुज्ञप्ति को जारी रखने या अन्यथा पुनर्विलोकन कर सकेगा जिन्होंने नामावली पर कार्मिकों के प्रशिक्षण की शर्तों का अनुपालन न किया हो।

12. **सुरक्षा गार्डों के लिए शारीरिक मानदंड–(1)** कोई व्यक्ति सुरक्षा गार्ड के रूप में नियुक्त या नियोजित होने के लिए अर्ह होगा, यदि वह निम्न शारीरिक मानकों को पूरा करता है :

i) कद 160 से.मी. (महिला 150 से.मी.), वजन, कद–वजन की मानक सारणी के अनुसार, सीना 80 से.मी. जो 04 से.मी. फूलना चाहिए (महिलाओं के लिए लिए सीना माप की कोई न्यूनतम आवश्यकता नहीं है),

(ii) नेत्र दृष्टि –दूर दृष्टि 6/6, निकट दृष्टि 0.6/0.6 चश्मे अथवा इसके बिना, वर्णांधता से मुक्त, सुरक्षा उपकरणों के प्रदर्श में रंगों को विभेद और पहचान करने और अंग्रेजी अक्षरों तथा प्रदर्श में अरबी के अंकों को पढ़ने और उन्हें समझने के योग्य होना चाहिए।

(iii) संहतजानुक और चिपटा पैर से मुक्त व छह मिनट में एक किलोमीटर तक दौड़ने योग्य।

(iv) श्रवण दोष से मुक्त हो, सुनने और बोलने की आवाज का उत्तर देने तथा सुरक्षा उपकरणों द्वारा उत्पन्न ध्वनि पर प्रतिक्रिया करने योग्य हो।

(v) अभ्यर्थी तलाशी लेने, वस्तुओं को हाथ में लेने और आवश्यकता पड़ने पर व्यक्तियों को रोकने के लिए बल प्रयोग करने के लिए कुशल और समर्थ हो।

(2) अभ्यर्थी किसी छुआ–छूत की बीमारी अथवा उसके लक्षण से मुक्त हो । वह ऐसी किसी बीमारी से ग्रस्त न हो जिसका उसकी सेवा के दौरान बढ़ने की आशंका हो या जिससे वह सेवा के लिए अनुपयुक्त हो जाए या जिससे जनता के स्वास्थ्य के खतरा उत्पन्न हो जाए।

(3) अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि इसके पास कार्यरत प्रत्येक निजी सुरक्षा गार्ड की किसी स्वास्थ्य परीक्षा के प्रत्येक 12 माह पश्चात, उसकी अंतिम ऐसी स्वास्थ्य जांच की जाती है ताकि उसके प्रवेश के समय निर्धारित शारीरिक मानदंड का सतत् अनुरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

13. **सुपरवाइजरों के लिए उपबंध– (1)** अनुज्ञप्त निजी सुरक्षा अभिकरण पंद्रह से अनधिक निजी सुरक्षा गार्डों के कार्य के पर्यवेक्षण के लिए कम से कम एक पर्यवेक्षक को नियोजित करेंगे।

(2) निजी सुरक्षा गार्डों के विभिन्न परिसरों में सुरक्षा ड्यूटी पर होने तथा एक पर्यवेक्षक द्वारा उनके कार्य का पर्यवेक्षण व्यवहार्य न होने की स्थिति में अधिक संख्या में पर्यवेक्षकों को तैनात करेगा, ताकि कम से कम प्रत्येक छः सुरक्षा गार्डों की सहायता, सलाह और पर्यवेक्षण के लिए एक पर्यवेक्षक उपलब्ध हो।

14. **अपील और प्रक्रिया**– अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील प्रपत्र 9 में की जाएगी। अपील अभ्यावेदन पर व्यथित अभिकरण के स्वत्वधारी, भागीदार, निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा उसे अपीलीय प्राधिकार को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाएगा या इलेक्ट्रॉनिकी या डिजीटल माध्यम या रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजा जाएगा।

15. **अभिकरण द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर** –अधिनियम के अधीन अभिकरण द्वारा रखे जाने के लिए अपेक्षित रजिस्टर को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रपत्र 10 में रखा जाएगा।

16. **फोटो पहचान पत्र**–(1) अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन अभिकरण द्वारा जारी प्रत्येक फोटो पहचान पत्र प्रपत्र 11 में होगा।

(2) फोटो पहचान पत्र में पूरे चेहरे का रंगीन फोटो, निजी सुरक्षा गार्ड का पूरा नाम, अभिकरण का नाम तथा उसकी कर्मचारी संख्या होगी, जिसे फोटो पहचान पत्र जारी किया गया है।

(3) फोटो पहचान पत्र में व्यक्ति की अभिकरण में प्रस्थिति और वह तिथि, जिस तक फोटो पहचान पत्र वैध है, स्पष्ट रूप से उपदर्शित होगी। पहचान पत्र में एक QR Code होगा जो अभिकरण के वेबसाईट से जुड़ा होगा तथा जिससे नियोजित कर्मियों की पहचान की जा सकेगी।

(4) फोटो पहचान पत्र को अद्यतन रखा जाएगा और विशिष्टियों में किसी परिवर्तन को उसमें दर्ज किया जाएगा।

(5) निजी सुरक्षा गार्ड को जारी फोटो पहचान पत्र को उसे जारी करने वाले अभिकरण को तब लौटा दिया जाएगा, जब वह निजी सुरक्षा गार्ड उस अभिकरण के नियोजन में नहीं रहता है या उसके द्वारा नियोजित नहीं किया जाता है।

(6) फोटो पहचान पत्र के गुम हो जाना या चोरी हो जाने को उस अभिकरण की जानकारी में तुरंत लाया जाएगा, जिसके द्वारा वह जारी किया गया है।

17. **अन्य शर्ते–(1)** इस बात के होते हुए भी अभिकरण अपने निजी सुरक्षा गार्ड के लिए ड्यूटी पर यूनिफार्म पहनना बाध्य करे, या न करे, प्रत्येक निजी सुरक्षा अभिकरण अपने सुरक्षा गार्डों को;

(क) अभिकरण को सुभिन्न करने वाला बाजू पर पहनने वाला बैज;
(ख) संगठन में उसका पद दर्शाने वाला कंधे या वक्ष का बैज;
(ग) सीटी की डोरी से बंधी सीटी और जो बाँयी जेब में रखी जाएगी;
(घ) फीते और सूराख सहित जूते;
(ङ) सिर पर पहनने की टोपी जिस पर निजी सुरक्षा अभिकरण का सुभेदक चिह्न भी हो सकता है; जारी करेगा और उन्हें पहनना बाध्यकारी करेगा।

(2) निजी सुरक्षा गार्ड, जब वह ड्यूटी पर हो, तो उसके द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्र ऐसे होंगे जो उसके दक्षतापूर्ण कर्त्तव्यपालन में बाधा उत्पन्न न करें । विशेषकर, वे न तो बहुत तंग और न ही बहुत ढीले होंगे, जिससे उसकी गतिविधियों या अंगों को मोड़ने में बाधा हो।

(3) प्रत्येक निजी सुरक्षा गार्ड अपने साथ एक नोट–बुक और एक लेखन उपकरण रखेगा।

(4) प्रत्येक निजी सुरक्षा गार्ड, जब वह सक्रिय सुरक्षा ड्यूटी पर हो, अधिनियम की धारा 17 के अधीन जारी फोटो पहचान पत्र, अपने शरीर पर किसी सहज दृश्य स्थान पर कमर से ऊपर बाहरी वस्त्र पर प्रदर्शित करते हुए धारण करेगा।

18. निरसन एवं व्यावृत्तियाँ –(1) निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 के तहत बनाये गए और अधिसूचना संख्या–पटना 668 दिनांक 17 नवम्बर, 2011 के माध्यम से बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित बिहार निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2011 (वर्ष 2017 में यथासंशोधित) को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) इस तरह के निरसन के बावजूद, उप–नियम (1) के तहत निरस्त नियमावली के तहत की गई कोई भी कार्रवाई इन नियमों के संबंधित प्रावधानों के तहत वैध रूप से की गई समझी जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(के॰ सुहिता अनुपम)

सरकार के विशेष सचिव।

प्रपत्र–1

(नियम 5(1)/नियम 7(1) देखिए)

निजी सुरक्षा का कारोबार संचालित करने की अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन प्रपत्र।

प्रस्तावित निजी सुरक्षा अभिकरण–	
निजी सुरक्षा अभिकरण का प्रस्तावित पता–	
अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन देने वाले का नाम–	
आत्मज/आत्मजा–	
ई–मेल पता–	
फोन नं0–	
आवासीय पता–	
पूर्व से निर्गत अनुज्ञप्ति संख्या*–	
पूर्व से निर्गत अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि समाप्ति की तिथि*–	

1. स्वत्वधारी/भागीदार/बहुसंख्य शेयरधारक, निदेशक एवं प्रबंधन

प्रबंधन	प्रबंधन	प्रबंधन का पता	अन्य विवरण	अनुलग्नक

2. अनुदेश देने के लिए नियुक्त कर्मियों की योग्यता

नाम	लिंग	आयु	पदनाम	योग्यता

3. सुरक्षा सेवाओं हेतु प्रयुक्त होने वाले शस्त्र/शस्त्रों का विवरण

शस्त्र कोड	अनुज्ञप्ति सं0	निर्गत तिथि	समाप्ति की तिथि	निर्गत करने वाला	निर्गत करने वाला जिला

4. सुरक्षा सेवाओं में प्रयुक्त होने वाले उपकरण

उपकरण का नाम	संस्था

5. यदि आवेदक एजेंसी अपने निजी सुरक्षा गार्डों तथा पर्यवेक्षकों के लिए किसी प्रकार की वर्दी के उपयोग का इरादा रखती हो तो रंग सहित वर्दी की विशिष्टताएँ।

पदनाम	वर्दी का रंग	अनुलग्नक

103

6. क्या आवेदन एक से अधिक जिलों/सम्पूर्ण राज्य में एजेंसी चलाने का इरादा रखता है?, यदि हाँ, तो जिलें/राज्य का नाम–

7. क्या आवेदक के पास स्वयं प्रशिक्षण की सुविधा है अथवा वाह्य स्रोतों से प्रशिक्षण करायेगें।

(क) क्या प्रशिक्षण संस्थान मान्यता प्राप्त है?

(ख) प्रशिक्षण सुविधा स्वयं/वाह्य स्रोत

(ग) अनुलग्नक

प्रशिक्षण सुविधा स्थल का नाम	प्रशिक्षण सुविधा स्थल का पता

8. क्या एजेंसी द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश धारित है?

9. एजेंसी के बारे में अतिरिक्त विवरण

सी0 आई0 एन0 सं0–	
क0 रा0 बीमा सं0–	
क0 भविष्य निधि सं0–	
श्रम अनुज्ञप्ति सं0–	
श्रम निबंधन सं0–	
वस्तु एवं सेवा कर सं0–	
उपलब्ध सुविधाओं का नाम और क्षमता	

10. अंडरटेकिंग

1.मुझे किसी कंपनी के सम्प्रवर्तन, उसके बनाने या प्रबन्ध के संबंध में किसी अपराध के लिए (मेरे द्वारा कंपनी के संबंध में किए किसी कपट या अपकरण सहित) जिसमें अनुन्मोचित दिवालियापन भी शामिल है, सिद्धदोष नहीं किया गया है।	
2.मुझे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए, जिसके लिए विहित दण्ड दो वर्ष से अन्यून कारावास है, सिद्धदोष नहीं किया गया है।	
3.मेरा किसी ऐसे संगठन या संगम से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है, जिसे उसके ऐसे क्रियाकलापों, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था के लिए खतरे की आशंका उत्पन्न होती हो, के कारण किसी विधि के अधीन प्रतिबंधित कर दिया गया है। मेरा किसी ऐसे व्यक्ति, संगठन या संगम से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है, जिसके बारे में यह सूचना है कि वे किसी ऐसे क्रियाकलाप में संलिप्त हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।	
4.मुझे अवचार या नैतिक अधमता के आधार पर सरकारी सेवा से पदच्युत अथवा हटाया नहीं गया है।	
अनुलग्नक	

11. टिप्पणी

टिप्पणी	टिप्पणी कर्ता	टिप्पणी तिथि

12. भुगतान का विवरण

क्र0 सं0	लेन देन का विवरण

102

प्रपत्र–2

(नियम 5(2)/नियम 7(2) देखिए)

आवेदक के पूर्ववृत्त सत्यापन हेतु प्रपत्र

(कृपया सही जानकारी दें। असत्य सूचना देने या किसी तथ्यत्मक सूचना को छुपाने का प्रयास करने पर अभ्यर्थी को अनुज्ञप्ति के लिए अनुपयुक्त किया जा सकता है।)

अभिकरण का नाम	
अभिकरण का राज्य	
अभिकरण कोड	

1.	आवेदक का नाम*	
2.	यदि आपने कभी अपना नाम परिवर्तित किया हो तो कृपया पूर्व के नाम (नामों) को पूरा–पूरा दर्शाएं–	
3.	लिंग*	
4.	जन्म तिथि*	
5.	डी0 आई0 एन0 सं0	
6.	पहचान पत्र*	
7.	जन्म स्थान*	
8.	क्या आप जन्म/विरासत/रजिस्ट्रेशन/ देशीकरण से भारत के नागरिक हैं (यदि आपने कभी भी अन्य नागरिकता ग्रहण की हो, तो कृपया पूर्व नागरिकता का उल्लेख करें)	
9.	पिता का पूरा नाम/वैध अभिभावक का पूरा नाम उपनाम सहित यदि कोई हो (बड़े अक्षरों में)*	
10.	मता का पूरा नाम (उपनाम सहित यदि कोई हो)*	
11.	यदि विवाहित हो तो पत्नी का पूरा नाम उपनाम सहित यदि कोई हो (बड़े अक्षरों में)	
12.	मोबाईल नं0–	
13.	शेक्षणिक योग्यता *	
14.	शरीर पर दृष्य पहचान चिन्ह * :	

15. वर्तमान आवासीय पता का विवरण

वर्तमान आवासीय पता *	
उपर्युक्त वर्णित पते पर किस तिथि से निवास कर रहे हैं। *	

(101)

यदि स्तंभ 9 में दिए गए पता पर आप लगातार पांच वर्षों से नहीं रह रहें हों तो कृपया अन्य पता(पते) पर रहने की अवधि का उल्लेख करें। पिछले पांच वर्षों के दौरान रहने के हरेक अतिरिक्त स्थान के लिए इस फारम की अतिरिक्त छाया प्रतियाँ कराकर दें। फारम की छाया प्रतियाँ तो कराई जा सकती है लेकिन प्रत्येक फारम पर फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर मूल रूप में देना होगा।	
पूर्व का आवासीय पता*	
पूर्व का आवासीय पता आवसन की अवधि *	

16. स्थायी पता *:
17. पिछले तीन वर्षों का आयकर रिटर्न–

आकलन वर्ष	आयकर रिटर्न की प्रति

18. क्या आपने पूर्व में कोई निजी सुरक्षा एजेंसी संचालित की थी अथवा उसके भागीदार, बहुसंख्यक शेयरधारी अथवा निदेशक थे? यदि हाँ तो एजेंसी का नाम, पता एवं उसकी अनुज्ञप्ति की विशिष्टियां दें।
19. धारित पूर्व पद, यदि कोई हो, नियोजक का नाम एवं पता सहित–
20. अंतिम नियोजन को छोड़ने का कारण–
21. क्या आपने पूर्व में कोई निजी सुरक्षा एजेंसी संचालित की थी अथवा उसके भागीदार, बहुसंख्यक शेयरधारी अथवा निदेशक थे? यदि हाँ तो एजेंसी का नाम, पता एवं उसकी अनुज्ञप्ति की विशिष्टियां दें।
22. क्या आप कभी किसी दांडिक अपराध के लिए भारत में किसी न्यायालय द्वारा सद्दिद्धोष ठहराए गए है? यदि हॉ, तो न्यायालय का नाम, वाद संख्या एवं अपराध का ब्यौरा दें। (निर्णय की प्रति संलग्न करें)
23. क्या आपके विरुद्ध भारत में किसी न्यायालय में कोर्ठ दांडिक कार्यवाही लंबित है? यदि है तो न्यायालय का नाम, वाद संख्या एवं अपराध का ब्यौरा दें।
24. अनुलग्नक
25. स्वघोषणा (पूरा)

इस फारम एवं अनुलग्नकों में मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही एवं इसकी शुद्धता के लिए मैं पूर्णतः जवाबदेह हूँ।

तिथि...................

स्थान..................

(आवेदक का हस्ताक्षर)

108

प्रपत्र–3

(नियम 5(3) / नियम 7(2) देखिए)

शपथ पत्र

मैं, –पुत्र / पुत्री / पत्नी / श्री / सुश्री – निवासी– मैसर्स– –(फर्म / अभिकरण / कंपनी का नाम) स्थित– ––(फर्म / अभिकरण / कंपनी का पता) का स्वत्वधारी / भागीदार / निदेशक हूं। मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि :

1. यह कि अभिसाक्षी भारत का नागरिक है।
2. यह कि अभिसाक्षी ने 18 वर्ष आयु प्राप्त कर ली है।
3. यह कि स्वत्वधारी / भागीदारों / निदेशकों का विवरण (कृपया सभी भागीदारों / निदेशकों के विवरण उपदर्शित करें) निम्नानुसार है :

क्रम संख्या	स्वत्वधारी / भागीदारों / निदेशकों के नाम	फर्म / अभिकरण / कंपनी का पदनाम स्वत्वधारी / भागीदार / निदेशक	निवास का पता

4. यह कि अभिसाक्षी या कोई स्वत्वधारी / भागीदार निदेशक कंपनी के प्रबंधन के संबंध में किसी अपराध के लिए (फर्म / अभिकरण / कंपनी के संबंध में कोई कपट अपकरण) सिद्धदोष किया गया है जिसके अंतर्गत अनुन्मोचित दिवालिया भी
5. यह कि अभिसाक्षी या कोई स्वत्वधारीध्भागीदार निदेशक किसी अपराध के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है, जिसके लिए विहित दंड दो वर्ष से कम का कारावास नहीं है।
6. यह कि अभिसाक्षी या कोई स्वत्वधारी / भागीदारी / निदेशक –
(क) किसी संगठन या संगम से संबंध नहीं रखते है जिनको उनके क्रियाकलापों जो राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था के लिए संकट खडा करते हैं, के कारण किसी विधि के अधीन प्रतिबंधित किया गया गया है; या
(ख) ऐसे क्रियाकलापों में संलिप्त नहीं है जो राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालते है ।
7. अभिसाक्षी या कोई स्वत्वधारी / भागीदार / निदेशक अवचार या नैतिक अधमता के आधार पर सरकारी सेवा से पदच्युत या हटाया नही गया है।
8. फर्म / अभिकरण / कंपनी भारत में रजिस्ट्रीकृत है और उसके पास स्वत्वधारी या बहुसंख्यक शेयरधारक, भागीदार या निदेशक नहीं है, जो भारत का नागरिक नहीं है।
9. अभिसाक्षी और फर्म / अभिकरण / कंपनी के सभी भागीदार / निदेशक उसके यथा विहित प्राईवेट सुरक्षा गार्डों और पर्यवेक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करके या उन्हे ऐसा प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करके प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का 29) की धारा 9 की उपधारा (2) के उपबंधों का अनुपालन करेंगे।
10. अभिसाक्षी और फर्म / अभिकरण / कंपनी के सभी भागीदार / निदेशक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का 29) की धारा 11 के अधीन यथा अनुबद्ध निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेंगे।
(i) विहित प्रशिक्षण जिसे अनुज्ञाप्तिधारी को करना है।
(ii) अभिकरण बनाने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के ब्यौरें।

(९९)

(iii) नियंत्रक प्राधिकारी को समय–समय पर अपने पते, प्रबंधन के किसी परिवर्तन के संबंध में सूचना देने की बाध्यता।

(iv) नियंत्रक प्राधिकारी को समय–समय पर उनके द्वारा नियोजित या नियुक्त, यथास्थिति प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण या प्राईवेट सुरक्षा गार्ड के कर्तव्यों के पालन के अनुक्रम में उनके विरूद्ध किसी भी दांडिक आरोप के संबंध में सूचना देने की बाध्यता।

(अ) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में सक्षम प्राधिकारी अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण द्वारा अपेक्षित प्रशिक्षण दिए जाने के बारे में सत्यापन करने और ऐसे प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण की जिसने अपेक्षित प्रशिक्षण सुनिश्चित करने की शर्तों का पालन नहीं किया हो, अनुज्ञप्ति को जारी रखने का या अन्यथा के पुनर्विलोकन करने का उपबंध कर सकेगा।

11. यह कि अभिसाक्षी के विरूद्ध पुलिस द्वारा कोई मामला रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है या कोई मामला न्यायालय में लंबित नहीं है।

या

यह कि अभिसाक्षी के विरूद्ध पुलिस द्वारा कोई मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया है या कोई मामला न्यायालय में लंबित है। (ब्यौरों को संलग्न करे)

12. अभिसाक्षी और फर्म/अभिकरण/कंपनी के सभी भागीदार/निदेशक अनुज्ञप्ति की शर्तों का और प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का 29) और इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार/संघराज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अधिसूचित सुसंगत नियमों के उपबंधों का अनुपालन करेंगे और – ––––मैसर्स–––––––––––– ––नाम एवं शीर्षक वाले प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का प्रबंध करते हुए इस अधिनियम के अधीन नियुक्त नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों का भी अनुपालन करेंगे।

अभिसाक्षी

सत्यापनः– मैं,. दिनांक को तदनुसार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि यह शपथ पत्र उपर्युक्त अंतर्वस्तु मेरे वैयक्तिक ज्ञान के अनुसार सही है और विश्वास से कोई बात छिपाई नहीं गई है।

अभिसाक्षी

टिप्पणीः

(i) बिंदू संख्या 4 से 8 अधिनियम की धारा 6 के अनुपालन से संबंधित है।
(ii) बिंदू संख्या अधिनियम की धारा 9(2) के अनुपालन से संबंधित है।
(iii) बिंदू संख्या 10 और 11 अधिनियम की धारा 11 के अनुपालन से संबंधित है।
(iv) उन बिंदुओं को हटा दें जो लागू नहीं होते हैं।

प्रपत्र–4

(नियम 5(10) देखिए)
बिहार सरकार
गृह विभाग

निजी सुरक्षा अभिकरण का कारबार करने की अनुज्ञप्ति

क्रम संख्या
तारीख––––
निजी सुरक्षा अभिकरण का नाम...
श्री (आवेदक का नाम)
पुत्र/पुत्री निवासी– को––––––पते पर स्थित कार्यालय से राज्य के – जिले/जिलों में निजी सुरक्षा अभिकरण का व्यवसाय के प्रचालन के लिए नियंत्री प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाती है।
जारी करने का स्थानः
जारी करने की तारीखः
यह अनुज्ञप्ति– तक वैध हैं।

हस्ताक्षर
अनुदत्त प्राधिकारी का नाम
पदनाम
कार्यालय का पता

नवीकरण

(नियम 7(4) देखिए)

क्रम संख्या	नवीकरण की तारीख	अवसान की तारीख	हस्ताक्षर/नवीकरण प्राधिकारी का नाम/पदनाम/कार्यालय का पता
1			
2			
3			
4			

(97)

प्रपत्र–5

(नियम 10(2) देखिए)

सुरक्षा गार्ड और पर्यवेक्षक के चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए प्रपत्र

आवेदक के हस्ताक्षर

केवल कार्यालय द्वारा उपयोग के लिए		
प्रारूप संख्या	चरित्र और पूर्ववृत सत्यापन जारीकर्ता	तारीख

फीस रकम नकद/मांगदेय ड्राफ्ट बैंक का नाम– मांगदेय ड्राफ्ट सं. तारीख –जारी करने की

(सावधानः कृपया सही सूचना प्रस्तुत करें। प्ररूप में गलत सूचना देने अथवा तथ्यों को छिपाने से अभ्यर्थी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण मे नियोजन/काम पर लगाने के लिए अनुपयुक्त माना जाएगा।)

1. आवेदक का नाम जैसा फोटो पहचान पत्र में प्रतीत हो (आद्याक्षर अनुज्ञात नहीं है)

   अंतिम नाम– प्रथम नाम

2. यदि अपने नाम में कभी कोई परिवर्तन किया है तो पिछले पूरे नाम (नामों) का उल्लेख करें।
3. लिंग (पुरुष/महिला)
4. जन्म की तारीख (दिन/माह/वर्ष)
5. आधार सं.
6. जन्म का स्थान ग्राम/नगर

   जिला– देश और राज्य

7. पिता का पूरा नाम/विधि संरक्षक का पूरा नाम (उपनाम सहित, यदि कोई हो) (आद्याक्षर की अनुज्ञात नहीं है)
8. माता का नाम (उपनाम सहित, यदि कोई हो) (आद्याक्षर अनुज्ञात नहीं है)
9. यदि विवाहित है तो पति/पत्नी का पूरा नाम (उपनाम सहित, यदि कोई हो) (आद्याक्षर अनुज्ञात नहीं है)
10. वर्तमान आवासीय पता, गली, सड़क सं./पुलिस थाना, ग्राम और जिला सहित (पिन कोड संख्या भी दें)

    ....

    ....

    ....

    दूरभाष नं./मोबाइल नं.–..

11. कृपया उपर्युक्त उल्लिखित पते पर किस तारीख से निवास कररहे हैं: दिन / माह / वर्ष

दिनांक		माह		वर्ष			

....

12. स्थायी पता गली नं. / पुलिस थाना, ग्राम और जिला सहित (पिन कोड सहित)

....

....

....

13. यदि आपने स्तंभ (10) में दिए गए पते पर लगातार पांच वर्ष तक निवास नहीं किया है तो कृपया अवधि सहित निवास का अन्य पता (पते) उल्लेख करिए।

से .... तक .... पता

....

....

14. विदेश में निवास के मामले में इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् आपने जिन स्थानों पर एक वर्ष से अधिक निवास किया हो; उनका ब्यौरा दीजिए:

---

15. अन्य ब्यौरे:

(क) शैक्षिक अर्हताएं

(ख) पूर्व में यदि किसी पद पर रहे हों तो नियोक्ता का नाम और पता

....

....

(ग) पिछले नियोजन छोड़ने के कारण ....

(घ) शरीर पर विभेदक पहचान चिन्ह. ....

(ड.) ऊंचाई (सें.मी.). ....

(च) अधिनियम की धारा 10(1) और (2) के उपबंधों को सम्मिलित करते हुए शपथ –पत्र संलग्न हैं: हां / नहीं

16. क्या आप केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार / पब्लिक सेक्टर उपक्रम / कानूनी निकाय में सेवारत है। हां / नहीं

17. क्या आप जन्म / विरासत / रजिस्ट्रीकरण / देशीयकरण द्वारा भारत के नागरिक हैं? यदि आप के पास अन्य कोई नागरिकता थी, तो कृपया पूर्व की नागरिकता का उल्लेख करें ....

18. क्या आप भारत में किसी न्यायालय द्वारा किसी दांडिक अपराध के लिए दोषसिद्ध और कारावास से दंडादिष्ट किए गए हैं? यदि ऐसा है तो न्यायालय का नाम, वाद संख्या और दांडिक अपराध का विवरण दीजिए (निर्णय की प्रति संलग्न कीजिए)

....

19. क्या भारत में आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में किसी दांडिक अपराध की कार्यवाही लंबित है? यदि ऐसा है तो न्यायालय का नाम, वाद संख्या तथा अपराध का विवरण दीजिए– ....

20. क्या किसी न्यायालय द्वारा कोर्ट वारंट या उपस्थिति के लिए समन या गिरफ्तारी के वारंट अथवा भारत से बाहर जाने की संजात जारी की गई है? यदि ऐसा है तो न्यायालय का नाम, वाद संख्या तथा अपराध का विवरण दीजिए........................

21. स्वतः घोषणाः–

इस प्रपत्र और संलग्नकों में दी गई सूचना सही है और मैं इसकी सत्यता के लिए पूर्णतः उत्तरदायी हूं

22. अंगुलियों के निशानः

(आवेदक के हस्ताक्षर)

तारीख–........................

स्थान–........................

संलग्नकः

....

....

(91)

प्रपत्र 6

(नियम 10(2) देखिए)

शपथपत्र

मैं–...पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.सुश्री–.............................. .... निवासी– .... (आवासीय पता) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण मैसर्स– .... (फर्म/अभिकरण/कंपनी का नाम) स्थित–.. (फर्म/अभिकरण/कंपनी का पता) में प्राइवेट सुरक्षा गार्ड/पर्यवेक्षक के रूप में रोजगार के लिए स्वयं प्रस्थापना करता हूं। मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान/घोषणा करता हूं –

1. यह कि मैं भारत का नागरिक हूं।
2. यह कि मैने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है लेकिन 65 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है। मेरे जन्म की तारीख–... है।
3. यह कि मुझे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं किया गया है।
4. यह कि मुझे संघ के किसी सशस्त्र बल, राज्य पुलिस संघठन, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या किसी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण में सेवा करते हुए अवचार या नैतिक अधमता के आधार पर पदच्युत या हटाया नहीं गया है।

अभिसाक्षी

सत्यापन : मैं–...(तारीख)– ....को सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि इस शपथपत्र में उपर दिए गए तथ्य मेरे निजी ज्ञान में सच और सही हैं और इनमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

अभिसाक्षी

टिप्पण : प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 (2005 का 29) की धारा 10(2) के उपबंध अभिसाक्षी की जागरूकता के लिए शपथपत्र के पृष्ठभाग पर मुद्रित किए जा सकेंगे जो निम्न प्रकार है :

"धारा 10 :

प्राइवेट सुरक्षा गार्ड होने के लिए अर्हताएं।

(2) ऐसा कोई भी व्यक्ति सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है या जिसे संघ के किसी सशस्त्र बल, किसी राज्य पुलिस संगठन, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण में, सेवा करते समय अवचार या नैतिक अधमता के आधारों पर सेवा से पदच्युत किया गया है या हटाया गया है, प्राइवेट सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक के रूप में नियोजित या लगाया नहीं जाएगा।"

93

<u>प्रपत्र 7</u>

(नियम 10(3) देखिए)

चरित्र और पूर्ववृत्त प्रमाण–पत्र

(यह प्रमाणपत्र बिहार निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2025 में सम्मिलित किए गए उपबंधों के अधीन जारी किया गया है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री–.. पुत्र/पुत्री– .... जिसका ब्यौरें निम्नलिखित है, अच्छे नैतिक चरित्र और अच्छी ख्याति के हैं, और पिछले एक वर्ष से निम्न पते पर लगातार निवास कर रहे हैं।

जन्म तिथिः

जन्म स्थानः

शैक्षिक अर्हताः

व्यवसायः

वर्तमान पता :

स्थायी पता :

यह प्रमाणपत्र (प्रमाणपत्र के स्रोत) .... के आधार पर जारी किया गया है और जारी करने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक वैध होगा।

जारीकर्ता प्राधिकारी

हस्ताक्षर

नामः

पदनामः

पता/दूरभाष नंः

जारी करने की तारीख :

प्रपत्र 8

(नियम 11(5) देखिए)

प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र

क्रम संख्या

प्रशिक्षण अभिकरण का नाम–
प्रशिक्षण अभिकरण का पता–
प्रशिक्षण अभिकरण मान्यता संख्या–.....................
(इस अभिकरण की मान्यता तारीख– तक वैध है)
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री–पुत्र/पुत्री श्री.. निवासी–.... ....ने...से......................तक राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढाचा (एन एस क्यू एफ) के मानक अनुसार निजी सुरक्षा गार्ड/पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति या काम पर रखे जाने के लिए निर्धारित प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।
उसके हस्ताक्षर नीचे साक्ष्यांकित हैं।
प्रमाण–पत्रधारी के हस्ताक्षर

जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम

जारी करने का स्थान :
जारी करने की तारीख :

(91)

प्रपत्र 9

(नियम 14 देखिए)

अपील के लिए प्रपत्र

अधिनियम की धारा 14 के अधीन अपील

अपीलकर्ता– ....

पुत्र/पुत्री– ....निवासी..

बनाम

नियंत्री प्राधिकारी– ....

दिनांक– ....के..(नियंत्री प्राधिकारी) के आदेश, और . ...(निजी सुरक्षा अभिकरण का नाम) के प्रचालन के लिए अनुज्ञप्ति अस्वीकार किए जाने के आदेश के विरुध्द, उपर्युक्त अपीलकर्ता .... अपीलीय प्राधिकार (राज्य के गृह सविच) को अपील करते हैं, और आदेश के विरुद्ध आपत्ति के निम्न आधार दिए गए हैं।

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

संलग्नक दस्तावेजों की सूची:

....

हस्ताक्षर

अपीलकर्ता का नाम व पदनाम

तारीखः

स्थानः

90

प्रपत्र 10

(नियम 15 देखिए)

विशिष्टियाँ– रजिस्टर

(रजिस्टर–क प्रबंधन विवरण)

क्रम संख्या	अभिकरण का प्रबंधन देखने वाले व्यक्ति / व्यक्तियों का नाम	मता–पिता / पति का नाम	वर्त्तमान पता और दूरभाष संख्या	स्थायी पता	राष्ट्रीयता	अभिकरण में नियुक्ति / छोड़ने की तारीख

(रजिस्टर–ख निजी सुरक्षा गार्ड तथा पर्यवेक्षक)

क्रम संख्या	गार्ड / पर्यवेक्षक का नाम	पिता का नाम	वर्तमान पता और दूरभाष संख्या	अभिकरण में नियुक्ति / छोड़ने की तारीख	स्थायी पता	फोटोग्राफ	अंगुलियों के निशान	कर्मचारी संख्या	तरीख सहित वेतन, ईएसआई,ईपीएफ संख्या और बैंक / शाखा जिसके माध्यम से संदत्त है।

(रजिस्टर–ग ग्राहक)

क्रम संख्या	ग्राहक का नाम और फोन नंबर	स्थान का नाम जहाँ सुरक्षा प्रदान की जाती है।	उपलब्ध कराए गए सुरक्षा गार्ड की संख्या और रैंक	सेवा प्रारंभ करने की तारीख	सेवा समाप्त की तारीख

(रजिस्टर–घ ड्यूटी रोस्टर)

क्रम संख्या	निजी सुरक्षा गार्ड / पर्यवेक्षक का नाम	ड्यूटी स्थान का पता	क्या कोई शस्त्र / गोला–बारूद उपलब्ध कराए गए है।	ड्यूटी प्रारंभ करने की तारीख और समय	ड्यूटी समाप्त करने की तारीख और समय

89

प्रपत्र 11

(नियम 16(1) देखिए)

प्राइवेट सुरक्षा गार्ड/पर्यवेक्षक के लिए फोटो–पहचान–पत्र

(प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का नाम)

पहचान–पत्र सं.– ....

नाम– ....

कार्यालय पदनाम–...

कर्मचारी सं.– ....

रक्त समूह– ....

जारी करने की तारीख– ....

.... तक वैध है।

पहचान–पत्रधारक के हस्ताक्षर– ....

रंगीन फोटो

जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर

कार्यालय की मोहर